ग्रा0वि0–15 (स्वच्छता)-03/2025......4463980

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक-12/08/2025

विषय : **लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन एवं परिचालन में संलग्न अंशकालिक स्वच्छता कर्मियों एवं स्वच्छता पर्यवेक्षक–सह–अनुरक्षक के पारिश्रमिक भुगतान एवं सृजित परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण (रख–रखाव) हेतु नीति की स्वीकृति ।**

प्रस्तावना : "सक्षम बिहार – स्वाबलंबी बिहार" अंतर्गत सात निश्चय– 2 में लक्षित "स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव" के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) /लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत 'खुले में शौच से मुक्ति' का स्थायित्व सुनिश्चित करते हुए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन द्वारा राज्य के सभी गांवों को ODF-Plus (संपूर्ण स्वच्छ) बनाया जाना है तथा भविष्य में इसकी निरंतरता सुनिश्चित की जानी है, जिससे राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छ गांव–समृद्ध गांव की परिकल्पना को साकार किया जा सके । संपूर्ण स्वच्छता के लक्षित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (SBM-G) एवं राज्य वित्त संपोषित लोहिया स्वच्छता योजना (LSY) को समेकित करते हुए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का संचालन किया जा रहा है ।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) / लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के उद्देश्यों के अनुरूप राज्य के ग्रामीण क्षेत्र को 'खुले में शौच से मुक्त' (ODF) बनाए रखने और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) के माध्यम से संपूर्ण स्वच्छता (ODF Plus) की निरंतरता हेतु स्वच्छता परिसंपत्तियों के प्रभावी संचालन एवं रख–रखाव (O&M) को भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है । इस हेतु SBM-G / LSBA अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों यथा– व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC), ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित संरचनाएं– अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई (WPU), प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई (PWMU), गोबरधन इकाई, सामुदायिक सोकपिट, मैजिक पिट, जल स्थिरीकरण पोखर (WSP), नाली निकासी बिंदु, जंक्शन चैंबर, धूसर जल प्रबंधन इकाइयों से संबंधित अन्य संरचनाएं, मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन (FSM) से संबंधित संयंत्रों के साथ ही घर–घर से कचरा

उठाव, परिवहन एवं कचरा प्रबंधन में प्रयुक्त पैडल रिक्शा, ई–रिक्शा, मोटराइज्ड वाहन एवं अन्य उपकरण इत्यादि के दीर्घकालिक रख–रखाव और संचालन का कार्य किया जाना है ।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) / लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के सफल क्रियान्वयन हेतु अपशिष्ट प्रसंकरण इकाई, पैडल रिक्शा, ई–रिक्शा, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई, बायोगैस इकाई, मलयुक्त कीचड़ उपचार इकाई इत्यादि परिसंपत्तियों का सृजन हुआ है । ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य के परिचालन में लगभग 1,41,116 स्वच्छता कर्मी एवं 8053 स्वच्छता पर्यवेक्षक–सह–अनुरक्षक मानवबल अंशकालिक रूप से कार्यरत है ।

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य में संलग्न अंशकालिक स्वच्छता कर्मियों को 1500 से 3000 रुपये प्रति माह एवं स्वच्छता पर्यवेक्षक को 5000 से 7500 रुपये प्रति माह कार्य आधारित पारिश्रमिक भुगतान प्रथम वर्ष में SBM-G से तदोपरांत ग्राम पंचायत द्वारा केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त राशि के अंतर्गत स्वच्छता हेतु प्रावधानित टाईड निधि से प्रावधानित है ।

वर्तमान में 8053 ग्राम पंचायतों में से 2418 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य वित्तीय वर्ष 2024–25 में शुरू किया गया है उक्त ग्राम पंचायतों में संलग्न अंशकालिक स्वच्छता कर्मियों एवं स्वच्छता पर्यवेक्षक का पारिश्रमिक भुगतान प्रथम वर्ष में SBM-G मद से किया जा रहा है ।

चूँकि ग्राम पंचायत में केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त राशि के अंतर्गत स्वच्छता हेतु प्रावधानित टाईड निधि से कर्मियों का पारिश्रमिक भुगतान के साथ–साथ स्वच्छता से संबंधित अन्य कार्य भी किया जाना है, जिससे प्रावधानित राशि पर्याप्त नहीं होने के कारण सृजित परिसंपत्तियों का अनुरक्षण तथा संलग्न कर्मियों के पारिश्रमिक भुगतान में कठिनाई आ रही है । कार्य बाधित होने के कारण राज्य सरकार ने 5635 ग्राम पंचायतों में कार्यरत कर्मियों को एक वर्ष तक पारिश्रमिक का भुगतान राज्य योजना मद से किये जाने का निर्णय लिया गया है । इस हेतु रुपये 354.8 करोड़ राशि की स्वीकृति प्रदान की गई । परन्तु पूरे प्रक्रिया के सफल संचालन एवं सृजित परिसंपत्तियों के अनुरक्षण हेतु एक स्थायी नीति बनाने की आवश्यकता है, ताकि उक्त का सुचारू एवं स्थायी रूप से पूर्ण संचालन हो सके ।

इसके अंतर्गत कार्यरत मानवबल के पारिश्रमिक के भुगतान के साथ–साथ विभिन्न प्रकार की स्वच्छता से संबंधित संरचनाएं / परिसंपत्तियां का अनुरक्षण भी आच्छादित होंगी, जिसमें निम्न परिसम्पतियां शामिल हैं :–

- व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHL)
- सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC)
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) की संरचनाएं एवं इस कार्य हेतु प्रयुक्त वाहन
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई (PWMU) एवं इस कार्य हेतु प्रयुक्त वाहन

- गोबरधन – बायोगैस इकाई
- धूसर जल प्रबंधन (GWM) से संबंधित संरचनाएं
- मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन इकाई (FSM)

2. **निवारण अनुरक्षण एवं मरम्मति हेतु अनुदेश :** संपूर्ण स्वच्छता के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों / संसाधनों के संचालन, रख–रखाव एवं अनुरक्षण हेतु अनुदेश :– स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) / लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों के अनुरक्षण को मुख्यतः तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है यथा–

I. **निवारण अनुरक्षण (Preventive Maintenance) :** निवारण अनुरक्षण से तात्पर्य संपूर्ण स्वच्छता से संबंधित संसाधनों एवं सुविधाओं का नियमित अंतराल पर रख–रखाव / निरीक्षण (Periodic Maintenance) और पूरी तरह से खराब होने से पूर्व स्पेयर पार्ट्स इत्यादि का बदला जाना है ।

II. **लघु मरम्मति (Minor Repair) :** लघु मरम्मति से तात्पर्य ODF Plus अंतर्गत विभिन्न अवयवों के अवसंरचनाओं / संसाधनों को क्रियाशील बनाए रखने हेतु साधारण मरम्मति व्यवस्था को सुनिश्चित करना है । इसके अंतर्गत मुख्य रूप से पैडल रिक्शा, ई–रिक्शा, मोटराइज्ड वाहन का पंक्चर या अन्य मरम्मत का कार्य, डस्टबिन का बदलाव, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, बायोगैस संयंत्र इत्यादि में सामान्य मरम्मत का कार्य, वेल्डिंग इत्यादि किया जाएगा ।

III. **वृहद मरम्मति (Major Repair) :** वृहद मरम्मति से तात्पर्य ODF Plus अंतर्गत विभिन्न अवयवों के अवसंरचनाओं / संसाधनों को क्रियाशील बनाए रखने हेतु वृहद खराबी (Major Repair work) आने पर मरम्मति को सुनिश्चित करना है । इसमें ई–रिक्शा में बैटरी का बदलना, ODF Plus संरचनाओं यथा – अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई (WPU), प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई (PWMU), गोबरधन योजना अंतर्गत निर्मित बायोगैस संयंत्र, सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) की संरचनाओं में बडी टूटफूट, आपदा या अन्य कारणों से की स्थिति में वृहद रूप से क्षतिग्रस्त होने पर पुनःस्थापना की आवश्यकता, मशीनरी, मोटर, विद्युत संरचना में बड़ी खराबी इत्यादि शामिल है ।

नोट –

- वार्षिक मरम्मति लागत (AMC) लागू होने की स्थिति में संबंधित एजेंसी के माध्यम से मरम्मति एवं बदलाव (Replacement) कराया जाएगा।

3. वर्तमान व्यवस्था:

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) / लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण अंतर्गत वर्तमान व्यवस्था :– स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) / लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण अंतर्गत खुले में शौच से मुक्ति का स्थायित्व सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है । इसके अंतर्गत छूटे हुए / नये परिवारों को शौचालय की सुलभता प्रदान की जा रही है। भूमिहीन परिवारों एवं अस्थायी आबादी के लिए आवश्यकतानुसार सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण किया जा रहा है। ठोस अपशिष्ट के समुचित निष्पादन हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई (Waste Processing Unit-WPU) का प्रावधान है, जहां घर–घर से संग्रहित अपशिष्ट को प्रसंस्कृत किया जा रहा है । प्लास्टिक अपशिष्ट के समुचित निपटान हेतु प्रखंड / अनुमंडल स्तर पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का निर्माण किया जा रहा है, जहां निकटवर्ती ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों से संग्रहित प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रसंस्कृत किया जा रहा है। कृषि एवं पशु अपशिष्ट के निपटान हेतु जिला स्तर पर बायोगैस उत्पादन के लिए गोबर–धन (GOBAR-Dhan) योजना का संचालन किया जा रहा है । तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सामुदायिक सोकपिट, नाली निकासी बिंदु, जंक्शन चैंबर इत्यादि संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन हेतु फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP) का निर्माण किया जा रहा है । संपूर्ण स्वच्छता के अवयवों पर जन–जागरूकता एवं जनभागीदारी हेतु समुदाय केंद्रित उत्प्रेरण गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है ।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) / लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत जो भी सृजित परिसम्पतियां होंगी उनके अनुरक्षण का उतरदायित्व संबंधित पंचायती राज संस्थाओं का होगा। इसके लिए मूलतः पंचायती राज संस्थाओं को केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त राशि के अंतर्गत स्वच्छता हेतु प्रावधानित टाईड निधि एवं राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्रदत अनुदान के अंतर्गत प्रावधानित अनुरक्षण निधि के मदों में उपलब्ध राशि से किया जाएगा। उपयोगिता शुल्क, अपशिष्ट एवं जैविक खाद के विक्रय से प्राप्त राशि संबंधित पंचायती राज संस्थाओं की होगी । जिसका उपयोग प्राथमिकता के आधार पर परिचालन में संलग्न कर्मियों के पारिश्रमिक के भुगतान एवं सृजित परिसंपत्तियों के अनुरक्षण में किया जाएगा । इसमें प्लास्टिक अपशिष्ट एवं जैविक खाद इत्यादि की विक्रय का प्रक्रिया एवं निर्णय संबंधित पंचायती राज संस्था के स्तर पर लिया जाएगा ।

4. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान / स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत संपूर्ण स्वच्छता हेतु क्रियान्वित कार्यों के विविध अवयवों के अनुश्रवण हेतु प्रावधानित अनुदेश निम्नवत हैं–

क. व्यक्तिगत शौचालय (IHHL) : खुले में शौच से मुक्ति के स्थायित्व हेतु समुदायों द्वारा शौचालय का स्वनिर्माण कर निरंतर उपयोग किया जा रहा है । व्यक्तिगत शौचालय के टूट फूट की मरम्मत एवं एकल गड्ढा से दो गड्ढे युक्त (Twin leach pit) शौचालय में परिवर्तन का कार्य पंचायती राज संस्थाओं को केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त राशि के अंतर्गत स्वच्छता हेतु प्रावधानित टाईड निधि एवं मनरेगा योजना के अभिसरण से किया जाएगा ।

ख. सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) : ग्राम पंचायतों में निर्मित सामुदायिक स्वच्छता परिसर को पूर्ण रूप से क्रियाशील रखा जाना है । इसके संचालन एवं अनुरक्षण में पंचायती राज संस्थाओं को केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त राशि के अंतर्गत स्वच्छता हेतु प्रावधानित टाईड निधि एवं राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्रदत अनुदान के अंतर्गत प्रावधानित अनुरक्षण निधि की राशि से किया जाएगा । साथ ही, उपयोगिता शुल्क संग्रहण किये जाने की स्थिति में उस राशि का भी उपयोग किया जाएगा ।

ग. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन :

I. अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई (WPU) : ग्राम पंचायतों में निर्मित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई, पैडल रिक्शा एवं ई–रिक्शा को पूर्ण रूप से क्रियाशील रखा जाना है । पंचायती राज संस्थाओं को केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त राशि के अंतर्गत स्वच्छता हेतु प्रावधानित टाईड निधि एवं राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्रदत्त अनुदान के अंतर्गत प्रावधानित अनुरक्षण निधि की राशि से किया जाएगा । साथ ही, संग्रहित उपयोगिता शुल्क (स्वच्छता कर्मियों को अनुमान्य प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त), जैविक खाद एवं अपशिष्ट विक्रय से प्राप्त राशि का भी उपयोग किया जाएगा ।

II. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई : प्रखण्ड / अनुमंडल स्तर पर निर्मित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का निरंतर संचालन एवं अनुरक्षण हेतु पंचायती राज संस्थाओं को केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त राशि के अंतर्गत स्वच्छता हेतु प्रावधानित टाईड निधि एवं राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्रदत्त अनुदान के अंतर्गत प्रावधानित अनुरक्षण निधि की राशि से किया जाएगा । साथ ही, प्लास्टिक अपशिष्ट के विक्रय से प्राप्त राशि का भी उपयोग किया जाएगा ।

III. बायोगैस इकाई : जिला स्तर पर गोबरधन योजना अंतर्गत निर्मित बायोगैस इकाई का निरंतर संचालन एवं अनुरक्षण हेतु पंचायती राज संस्थाओं को केंद्रीय वित्त आयोग की

अनुशंसा पर प्राप्त राशि के अंतर्गत स्वच्छता हेतु प्रावधानित टाईड निधि एवं राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्रदत्त अनुदान के अंतर्गत प्रावधानित अनुरक्षण निधि की राशि से किया जाएगा । साथ ही, बायोगैस एवं जैविक खाद के विक्रय से प्राप्त राशि का भी उपयोग किया जाएगा ।

घ. धूसर जल प्रबंधन :

I. **सामुदायिक सोकपिट, जंक्शन चैंबर एवं नाली निकास बिंदु :** तरल अपशिष्ट के समुचित निपटान हेतु ग्राम पंचायत में सामुदायिक सोकपिट, जंक्शन चैंबर, नाली निकास बिंदु इत्यादि का निर्माण किया गया है। इसके निरंतर क्रियाशीलता हेतु पंचायती राज संस्थाओं को केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त राशि के अंतर्गत स्वच्छता हेतु प्रावधानित टाईड निधि एवं राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्रदत्त अनुदान के अंतर्गत प्रावधानित अनुरक्षण निधि की राशि से तथा मनरेगा योजना के अभिसरण से किया जाएगा ।

II. **धूसर जल प्रबंधन हेतु निर्मित बड़ी संरचनाएं :** ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्तर पर धूसर जल प्रबंधन बड़ी आकार की तकनीकी संरचनाएं यथा– WSP / DEWATS इत्यादि के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु पंचायती राज संस्थाओं को केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त राशि के अंतर्गत स्वच्छता हेतु प्रावधानित टाईड निधि एवं राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्रदत्त अनुदान के अंतर्गत प्रावधानित अनुरक्षण निधि की राशि से तथा मनरेगा योजना के अभिसरण से किया जाएगा ।

ङ. मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन (FSM) : इससे संबंधित संयंत्रों (FSTP इत्यादि), वाहनों के परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु पंचायती राज संस्थाओं को केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त राशि के अंतर्गत स्वच्छता हेतु प्रावधानित टाईड निधि एवं राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्रदत्त अनुदान के अंतर्गत प्रावधानित अनुरक्षण निधि की राशि से तथा मनरेगा योजना के अभिसरण से किया जाएगा ।

च. मासिक धर्म अपशिष्ट प्रबंधन (MHM) : इससे संबंधित संयंत्रों (Incinerator इत्यादि) के परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु पंचायती राज संस्थाओं को केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त राशि के अंतर्गत स्वच्छता हेतु प्रावधानित टाईड निधि एवं राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्रदत्त अनुदान के अंतर्गत प्रावधानित अनुरक्षण निधि की राशि से किया जाएगा।

5. संपूर्ण स्वच्छता हेतु संचालन एवं अनुरक्षण के लिए संस्थागत ढांचा, व्यवस्था एवं दायित्व :

(क) राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई स्तर पर संचालन एवं अनुरक्षण (रख–रखाव) के दायित्व:

I. ग्राम पंचायत, प्रखंड एवं जिला स्तर पर निर्मित परिसम्पत्तियों / संरचनाओं एवं इससे संबंधित संसाधनों के सुचारू संचालन एवं रख–रखाव हेतु दिशा–निर्देश, क्षमतावर्धन, निधि प्रबंधन, संबंधित विभागों से समन्वय, अनुश्रवण एवं समीक्षा इत्यादि कार्य में सहयोग प्रदान किया जाना ।

(ख) जिला जल एवं स्वच्छता समिति स्तर पर संचालन एवं अनुरक्षण (रख–रखाव) के दायित्वः

I. जिला में निर्मित परिसम्पत्तियों / संरचनाओं एवं इससे संबंधित संसाधनों के सुचारू संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) का कार्ययोजना निर्माण तथा क्रियान्वयन ।

II. प्रखंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों का नियमित संचालन एवं सृजित परिसंपत्तियों का अनुरक्षण तथा अनुश्रवण करना ।

III. जिला विकास योजना (District Development Plan) में उपरोक्त कार्यों की प्रविष्टि सुनिश्चित करना ।

(ग) प्रखण्ड परियोजना अनुश्रवण इकाई स्तर पर संचालन एवं अनुरक्षण का दायित्वः

I. प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्मित परिसम्पत्तियों / संरचनाओं एवं इससे संबंधित संसाधनों का सुचारू संचालन एवं रख–रखाव सुनिश्चित किया जाना तथा इसका सतत अनुश्रवण।

II. परिसम्पत्तियों / संरचनाओं एवं इससे संबंधित संसाधनों के सुचारू संचालन एवं रख–रखाव हेतु व्यय का भौतिक सत्यापन, अनुरक्षण का मासिक प्रतिवेदन जिला को समर्पित करना ।

III. प्रखंड विकास योजना (Block Development Plan) में उपरोक्त कार्यों की प्रविष्टि सुनिश्चित करना ।

(घ) ग्राम पंचायत स्तर पर संचालन एवं अनुरक्षण (रख–रखाव) का दायित्वः

I. ग्राम पंचायत में उत्पन्न सभी तरह के अपशिष्ट का समुचित निष्पादन एवं दृष्टिगत स्वच्छता हेतु घरेलू स्तर पर सूखा एवं गीला अपशिष्ट के पृथक्करण हेतु सामुदायिक उत्प्रेरण, वार्डवार घर–घर से अपशिष्ट का संग्रहण, गांव के मार्ग, गली, नली, सार्वजनिक स्थलों की साफ–सफाई इत्यादि सुनिश्चित किये जाने हेतु संसाधन एवं अंशकालिक मानव बल की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना । साथ ही, इस कार्य हेतु पैडल रिक्शा, ई–रिक्शा, मोटराइज्ड वाहन, कंटेंनर, डस्टबिन इत्यादि का अनुरक्षण एवं रख–रखाव।

II. ग्राम पंचायत स्तर पर दैनिक रख–रखाव एवं परिचालन हेतु स्वच्छता पर्यवेक्षक–सह–अनुरक्षक का समुचित योगदान प्राप्त करना एवं उनके कार्यों की समीक्षा करना।

III. संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) के कार्यों को ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में प्रविष्टि करना सुनिश्चित करना ।

IV. उपयोगिता शुल्क संग्रहण, पंजी का संधारण एवं संधारित बैंक खाते में राशि जमा किया जाना।

पंचायती राज सस्थानों के स्तर पर परिचालन एवं अनुरक्षण का दायित्वः स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) / लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु सृजित परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण (रख–रखाव) एवं परिचालन में संलग्न अंशकालिक स्वच्छता कर्मियों एवं स्वच्छता पर्यवेक्षक–सह–अनुरक्षक के पारिश्रमिक भुगतान ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषद् के द्वारा किया जाएगा ।

6. अनुरक्षण (O&M) एवं पारिश्रमिक हेतु स्रोतः

परिचालन में संलग्न अंशकालिक स्वच्छता कर्मियों एवं स्वच्छता पर्यवेक्षक–सह–अनुरक्षक के पारिश्रमिक हेतु निधि के स्रोत :– स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) / लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत 8,053 ग्राम पंचायतों में परिचालन में संलग्न 1,41,116 स्वच्छता कर्मियों एवं 8053 स्वच्छता पर्यवेक्षक–सह–अनुरक्षक के पारिश्रमिक की विवरणी –

क्र0 सं0	अंशकालिक स्वच्छता कर्मी	अंशकालीन स्वच्छता पर्यवेक्षक–सह–अनुरक्षक
I.	केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त राशि के अंतर्गत स्वच्छता हेतु प्रावधानित टाईड निधि के राशि से 2500/– रुपये प्रति माह की दर से एक वर्ष के लिए 423.3 करोड़ रूपये ।	केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त राशि के अंतर्गत स्वच्छता हेतु प्रावधानित टाईड निधि के राशि से 2000/– प्रति माह की दर से एक वर्ष के लिए 19.3 करोड़ रूपये ।
II.	राज्य योजना निधि की राशि से 2500/– रुपये प्रति माह की दर से एक वर्ष के लिए 423.3 करोड़ रूपये ।	राज्य योजना निधि की राशि से 7000/– प्रति माह की दर से एक वर्ष के लिए 67.7 करोड़ रूपये ।
III.	**प्रोत्साहन राशि :** पारिश्रमिक के अतिरिक्त वार्ड स्तर पर घरों से (Household) संग्रहित मासिक उपयोगिता शुल्क की 50% राशि प्रोत्साहन के रूप में।	

IV.	कुल प्रस्तावित राशि : 5,000/– रूपये प्रति माह संग्रहित उपयोगिता शुल्क की 50% की राशि छोड़कर) **(एक वर्ष के लिए 846.7 करोड़ रूपये)**	कुल प्रस्तावित राशि रू 9,000/– रूपये प्रति माह **(एक वर्ष के लिए 87.0 करोड़ रूपये)**
V.	• राज्य योजना निधि से कुल राशि 491 करोड़ रूपये प्रति वर्ष । • केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त प्रावधानित टाईड निधि से कुल राशि 443 करोड़ रूपये प्रति वर्ष । **कुल सम्भावित व्यय रू 934 करोड़ रूपये प्रति वर्ष ।**	

नोट :

क. केन्द्र सरकार द्वारा इस मद में यदि कोई राशि अलग से उपलब्ध करायीं जाती है तो इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग, बिहार द्वारा संशोधन हेतु निर्णय लिया जाएगा ।

ख. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की मार्गदर्शिका में कोई संशोधन किया जाता है तो तदनुसार परिचालन में संलग्न अंशकालिक स्वच्छता कर्मियों एवं स्वच्छता पर्यवेक्षक–सह–अनुरक्षक के पारिश्रमिक एवं परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण (रख–रखाव) नीति में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संशोधन किया जा सकेगा।

7. उपयोगिता शुल्क प्रबंधन :

ग्राम पंचायत स्तर पर उपयोगिता शुल्क संग्रहण के स्रोत : घरेलू स्तर पर, ग्राम पंचायत अंतर्गत बाजार, हाट, दुकान, मार्केट, व्यावसायिक काम्पलेक्स, व्यावसायिक गतिविधि एवं सरकारी संस्थाओं आदि से उपयोगिता शुल्क (User Charge) का संग्रहण किया जाना है ।

शुल्क निर्धारण :

- घरेलु स्तर, दुकान, हाट–बाजार, दुकान एवं अन्य छोटे स्तर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से लिये जाने वाले उपयोगिता शुल्क सुझाव स्वरुप प्रति माह रुपया 30 से 60/– तक का संग्रहण सम्बंधित ग्राम पंचायत क्रियान्वयन समिति द्वारा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के परामर्श से किया जाएगा ।

- बड़े दुकान, होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी संस्थाओं, शादी–विवाह, भोज, घरेलू उत्सव, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रम इत्यादि आयोजन स्थल एवं आसपास उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट के समुचित प्रबंधन हेतु ग्राम पंचायत द्वारा उपयोगिता शुल्क सुझाव स्वरुप के रूप में रुपया 100 से 200/– तक का संग्रहण किया जाएगा ।

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित परिवारों से उपयोगिता शुल्क के रूप में रुपया 15/– का संग्रहण किया जाएगा ।
- विशेष परिस्थिति में निराश्रित, दिव्यांग एवं असहाय परिवारों से उपयोगिता शुल्क कम करने का निर्णय ग्राम पंचायत द्वारा लिया जा सकेगा ।
- उपयोगिता शुल्क का संग्रहण अंशकालिक रूप से कार्यरत स्वच्छता कर्मी एवं स्वच्छता पर्यवेक्षक–सह–अनुरक्षक द्वारा किया जाएगा एवं ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जाएगा ।

उपयोगिता शुल्क एवं अपशिष्ट, जैविक खाद के विक्रय से प्राप्त राशि का उपयोग :

- संग्रहित उपयोगिता शुल्क राशि संबंधित पंचायती राज संस्थाओं की होगी । जिसका व्यय / उपयोग संबंधित पंचांयती राज संस्थाओं के द्वारा अपने सृजित परिसंपत्तियों के परिचालन, मरम्मत, अनुरक्षण तथा कार्यरत मानवबल के पारिश्रमिक भुगतान मात्र हेतु ही किया जाएगा।
- प्लास्टिक अपशिष्ट, जैविक खाद, प्रसंस्कृत (Recyclable) अपशिष्ट विक्रय से प्राप्त राशि भी संबंधित पंचायती राज संस्थाओं की होगी, जिसका व्यय / उपयोग संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा अपने सृजित परिसंपत्तियों के संचालन, परिचालन, मरम्मत, अनुरक्षण तथा कार्यरत मानवबल के पारिश्रमिक भुगतान मात्र हेतु किया जाएगा ।

8. शिकायत निवारण (Grievance Redressal) प्रणाली :

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान–द्वितीय चरण के क्रियान्वयन में विभिन्न स्तरों पर शिकायत के निवारण हेतु प्रणाली विकसित की जाएगी एवं संबंधित शिकायतों का ससमय निवारण किया जायेगा । इस प्रणाली में आमजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन से संबंधित समस्याएं यथा–शौचालय के स्वनिर्माण उपरांत प्रोत्साहन राशि का भुगतान, सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) का संचालन तथा रख–रखाव, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन संबंधित समस्याएं यथा– कचरा उठाव तथा निष्पादन इत्यादि दर्ज कर ससमय निवारण प्राप्त कर सकेंगे ।

इस हेतु वेबसाईट एवं मोबाईल ऐप के माध्यम से शिकायत प्रेषण एवं निवारण तथा इससे संबंधित डैशबोर्ड की व्यवस्था की जाएगी । इस संबंध में समय समय पर दिशा–निर्देश अलग से निर्गत किये जायेंगे ।

एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली:– लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान–द्वितीय चरण अंतर्गत online Integrated Management Information System (IMIS) एवं मोबाइल ऐप आधारित IMIS पर सूचनाएं अपडेट की जाएगी ।

I. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन को निर्धारित वेबसाइट (www.sbm.gov.in) तथा मोबाइल ऐप पर अद्यतन किया जाएगा ।

9. **अनुदेश में संशोधन एवं विस्तार का प्राधिकार :** ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत क्रियान्वित लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान / स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन एवं परिचालन में संलग्न अंशकालिक स्वच्छता कर्मियों एवं स्वच्छता पर्यवेक्षक–सह–अनुरक्षक के पारिश्रमिक भुगतान एवं सृजित परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण (रख–रखाव) हेतु अनुदेश में आवश्यकतानुसार संशोधन हेतु ग्रामीण विकास विभाग अधिकृत होगा ।

10. इस पर दिनांक–05-08-2025 को हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद सं.–18 के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव 12/8/2025

ज्ञापांक 4463980 / पटना, दिनांक– 12/08/2025

प्रतिलिपि– ई–गजट कोषांग, वित्ति विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की 100 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय ।

सरकार के सचिव 12/8/2025

ज्ञापांक 4463980/ पटना, दिनांक– 12/08/2025

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव 12/8/2025

ज्ञापांक 4463980/ पटना, दिनांक– 12/08/2025

प्रतिलिपि– राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व परिषद, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्याक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव
12/8/2025

ज्ञापांक 4463980 / पटना, दिनांक– 12/08/2025

प्रतिलिपि– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका/वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग/बजट शाखा, ग्रामीण विकास विभाग/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी/सभी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव
12/8/2025

ज्ञापांक 4463980 / पटना, दिनांक– 12/08/2025

प्रतिलिपि– आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव
12/8/2025